मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् (दीक्षांत-समारोह) विनियम, 1993*

1. विनियम 1
2. विनियम 2
3. विनियम 3
4. विनियम 4
5. विनियम 5
6. विनियम 6
7. विनियम 7
8. विनियम 8
9. विनियम 9
10. विनियम 10
11. विनियम 11
12. विनियम 12
13. विनियम 13
14. विनियम 14
15. विनियम 15
16. विनियम 16
17. विनियम 17
18. विनियम 18
19. विनियम 19
20. विनियम 20
21. विनियम 21
22. विनियम 22
23. विनियम 23
24. विनियम 24
25. विनियम 25
26. विनियम 26
27. विनियम 27
28. विनियम 28

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् (दीक्षांत-समारोह) विनियम, 1993*

क्र. 410-874-सत्रह-4.- मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 38 के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य हौम्योपैथी परिषद् लोक स्वास्थ और परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापन क्र. 410-874-सत्रह-4 दिनांक 18 मार्च 1993 द्वारा दी गई राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम-. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राज्य होम्योपैथी परिषद् (दीक्षांत-समारोह) विनियम, 1993 है।

2. परिभाषाएं.- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976);

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।

3. उपाधी-पत्र/उपाधियां प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष भोपाल में एक दीक्षांत-समारोह, साधारणत: नवम्बर मास में, किया जाएगा और इसका नाम "वार्षिक दीक्षांत-समारोह" होगा । ऐसे समय पर, जैसा उचित समझा जाए, एक विशेष दीक्षांत-समारोह भी किया जा सकेगा । तथापि प्रत्येक मामले में दीक्षांत-समारोह की वास्तविक तारीख परिषद् द्वारा नियत की जाएगी ।

4. परिषद् का अध्यक्ष, नीचे खण्ड 6 में निर्दिष्ट समिति का सभापति होगा। किसी सम्मिलन में सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवृत्त का विनिश्चय करने के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से उस सम्मिलन के पीठासीन अधिकारी का चुनाव कर सकेंगे। कम से कम एक-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी और सम्मिलन में सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे

5. परिषद् का रजिस्ट्रार खण्ड 6 में निर्दिष्ट समिति का सचिव होगा और परिषद् के अध्यक्ष के अनुदेश के अधीन कार्यवृत्त तैयार करेगा ।

6. परिषद् दीक्षांत-समारोह करने के लिए एक समिति गठित कर सकेगी । जिसमें पांच सदस्य होंगे जिनमें से यथा संभव तीन परिषद् के सदस्य होंगे ।

7. दीक्षांत-समारोह के सभी सम्मिलनों के लिए रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी सूचना जो साधारणत: चार सप्ताह से कम की न हो दी जाएगी; विशेष मामलों में या विशेष दीक्षांत-समारोह के लिए यह कालावधि दो सप्ताह तक कम की जा सकेगी ।

8. दीक्षांत-समारोह का कार्यक्रम और उसमें पालन की जाने वाली प्रक्रिया सूचना के साथ संलग्न की जाएगी ।

9. दीक्षांत-समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित की जाए ।

10. (1) उपाधिपत्र-उपाधियों व्यक्तिश: प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्ट्रार को परिषद् द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन करेंगे और उसके साथ फीस 200/- रूपये या ऐसी कोई राशि होगी जो नीचे खण्ड 28 में उल्लिखित किए गए अनुसार परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए । आवेदन रजिस्ट्रार के पास दीक्षांत-समारोह के लिए नियत तारीख के पूरे इक्कीस दिन पूर्व पहुंच जाना चाहिए । आपवादिक मामलों में रजिस्ट्रार विलंब से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करने की अनुज्ञा दे सकेगा बशर्ते कि :-

(एक) वे दीक्षांत-समारोह की तारीख से पूरे 7 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को प्राप्त हुए हों; और

(दो) उनके साथ 50/- रूपये की विलंब फीस संलग्न हो ।

(2) (एक) अपना उपाधि-पत्र/उपाधि अनुपस्थिति में प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्ट्रार को परिषद् द्वारा विहित किए गए प्ररूप में आवेदन करेंगे और ऐसे आवेदन के साथ फीस 250/- रूपये या ऐसी कोई राशि जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, संलग्न होगी ।

(दो) अभ्यर्थी दीक्षांत-समारोह में ऐसा परिधान धारण करेंगे जैसा कि परिषद् द्वारा नियत किया जाय । ऐसे किसी अभ्यर्थी की जो नियत किया गया परिधान धारण किए हुए नहीं हो दीक्षांत-समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

MAP IT (MP Code)

(तीन) दीक्षांत-समारोह में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को उपाधि-पत्र/उपाधियों विनिर्दिष्ट स्थान समय और तारीख को जारी की जाएगी । खंड 20 में यथानिर्दिष्ट दीक्षान्त -समारोह के समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई उपाधि-पत्र/उपाधि जारी नहीं की जाएगी ।

www.code.mp.gov.in

11. परिषद्, राज्य सरकार की अनुमति से यह विनिश्चित कर सकेगी कि दीक्षान्त -समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए मुख्य अतिथि कौन होगा ।

12. रजिस्ट्रार समारोह के अध्यक्ष की अनुमति से दीक्षांत-समारोह प्रारंभ होने की घोषणा करेगा ।

13. परिषद् का अध्यक्ष यह कहेगा "अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किया जाए"

14. दीक्षांत-समारोह में उपाधि-पत्र/उपाधि प्रदान किए जाने के लिए अभ्यर्थियों को सम्बंधित मान्यता प्राप्त होम्योपैथी महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा औपचारिक रूप से निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत किया जाएगा :-

" महोदय

मैं कुमारी / श्री / श्रीमति..... और अन्य..... को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं इनकी परीक्षा ली गई है और इन्हें..... की उपाधि-पत्र / उपाधि के लिए अर्ह पाया गया । मेरा अनुरोध है कि इन्हें यह उपाधि-पत्र / उपाधि प्रदान की जाए और में उन अभ्यर्थियों की ओर से भी जिन्हें अपना उपाधि-पत्र - उपाधि अनुपस्थिति में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया गया है अनुरोध करता हूं कि उनको भी यह उपाधि-पत्र/उपाधि प्रदान की जाय"

15. जब उपाधि-पत्र - उपाधि के लिए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर दिया जाय तो परिषद् का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुज्ञा से या उसकी अनुपस्थिति से रजिस्ट्रार कहेगा -

" जो अम्यर्थी के उपाधि-पत्र-उपाधि के लिए प्रस्तुत हुए हैं कृपया खड़े हो जाएं "

तब परिषद् का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुज्ञा से या उसकी अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शब्दों में उपाधि-पत्र /उपाधि प्रदान करेगा : -

"राज्य परिषद् के अध्यक्ष रजिस्ट्रार के रूप में मुझमें निहित प्राधिकारी से, मैं आपको इस परिषद् का..... उपाधि - पत्र / उपाधि प्रदान करता हूं और आजीवन अपने आपको इसके योग्य सिद्ध करने का भार आपको सौंपता हूं । मैं अन्य अभ्यर्थियों को भी उनकी अनुपस्थिति में यह उपाधि-पत्र उपाधि प्रदान करता हूं" ।

प्रस्तुत अभ्यर्थी झुककर अपनी अभिस्वीकृति देंगे ।

सम्मानित उपाधियां प्रदान किए जाने की दशा में परिषद् के अध्यक्ष/रजिस्ट्रार द्वारा उचित रीति में शब्द" मैं आपको / श्री..... को..... परापर की सम्मानित उपाधि प्रदान करता हूं" उपांतरित किए जा सकेगी ।

www.code.mp.gov.in

16. उपाधिपत्र-उपाधियों प्रदत्त कर दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् के पदक और पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्तिश: बुलाए जाएंगे और वे मुख्य अतिथि के समक्ष उपस्थित होंगे जो उन्हें पदक और पुरस्कार प्रदान करेगा ।

17. इसके पश्चात् रजिस्ट्रार अभ्यर्थियों को प्रदत्त उपाधि-पत्रों / उपाधियों की संख्या घोषित करेगा ।

18. परिषद् का अध्यक्ष तदुपरान्त पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान परिषद् के कार्य का पुनर्विलोकन करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

19. उसके पश्चात् दीक्षांत भाषण दिया जायेगा ।

20. रजिस्ट्रार इसके पश्चात् समारोह के अध्यक्ष की अनुज्ञा से दीक्षांत-समारोह के समापन की घोषणा करेगा |

21. दीक्षांत-समारोह की कार्यवाहियां हिन्दी में होगी ।

22. समिति ऐसे अन्य व्यक्तियों या ख्याति प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों को दीक्षांत-समारोह की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

23. ऐसे अतिथियों पर उपगत समस्त व्यय परिषद् द्वारा अवधारित किए गए अनुसार परिषद् द्वारा वहन किए जाएंगे ।

24. परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त होम्योपैथी महाविद्यालय वार्षिक दीक्षांत-समारोह के लिए ऐसी फीस का संदाय करेंगे जैसी कि परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

25. यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई पुरस्कार या पदक घोषित किया गया है तो उसे ऐसी रीति में विनियमित किया जाएगा जैसा कि परिषद् या दीक्षांत-समारोह समिति द्वारा अवधारित किया जाए ।

26. समिति दीक्षांत-समारोह के अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित कर सकेगी तथा जारी कर सकेगी और इस प्रयोजन के लिए धन एकत्र करने हेतु विज्ञापन या अनुदान प्राप्त कर सकेगी ।

27. इन विनियमों के अधीन विहित की गई कोई भी फीस परिषद् के रजिस्ट्रार के पक्ष में लिखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाएगी ।

[1][28. परिषद् द्वारा किसी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित न कर पाने की दशा में वह सफल अभ्यर्थियों द्वारा उपाधि उपाधिपत्र या प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिये 500 रू. फीस या जो उसके द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित की जाये का भुगतान करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा तारीख नियत कर सकेगी :

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी परिषद् द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से एक वर्ष के भीतर उपाधि उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन करने में असफल रहता है । तो वह प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के विलम्ब के लिये 100 रूपये विलम्ब फीस का भुगतान करने के पश्चात् अपनी उपाधि-पत्र / उपाधि / प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर सकेगा |